



केंद्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head quarters, New Delhi
Website: www.kvsangathan.nic.in

Email: adtl.com.admn@kvs.gov.in, Tel: 011- 26855532

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली / 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi

Comp No29090

F. 11-Adm1/24/2025-Admn-II/ 1264-86

दिनांक:30.09.2025

कार्यालय आदेश


केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 27.12.2024 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक/ रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 85 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु चिह्नित भूमि का हस्तांतरण एवं उपयुक्त अस्थायी भवन को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिपत्य में कर दिया जाएगा। केन्द्रीय विद्यालय खजूरी खास, दिल्ली, (संसदीय क्षेत्र –उत्तर पूर्व दिल्ली) दिसम्बर 2024 में स्वीकृत 85 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि प्रायोजक प्राधिकरण ने भूमि का हस्तांतरण केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में कर दिया है एवं विद्यालय संचालन हेतु उपयुक्त अस्थायी भवन उपलब्ध होने के उपरांत निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय तुरंत प्रभाव से प्रारंभ करने के लिए संस्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय सत्र 2025-26 से संचालित किया जाएगा
1	केन्द्रीय विद्यालय खजूरी खास, दिल्ली	केन्द्रीय विद्यालय, खजूरी खास, पुलिस स्टेशन खजूरी खास के पास, सोनिया विहार, नई दिल्ली-110090

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय प्रारम्भ में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) संचालित होगा और इसके पश्चात साध्यता एवं अनुमोदन उपरांत कक्षाओं में वृद्धि होगी ।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया भूमि हस्तांतरण एवं अस्थायी भवन से सम्बन्धित सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद से 30 दिवस के भीतर सम्पन्न कर ली जाये ।


(दीपेश गहलोत)
अपर आयुक्त (प्रशा.)

वितरण:

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.स. ।
2. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, दिल्ली ।
3. निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं संयुक्त अध्यक्ष, के.वि.स. ।
4. वरिष्ठ पी. पी. एस., सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) शिक्षा मंत्रालय एवं डिप्टी चैयरमैन केविसं.।
5. प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव, दिल्ली ।
6. अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण ।
7. प्रधान स्टाफ अधिकारी, संयुक्त सचिव (संस्थान एवं प्रशिक्षण) शिक्षा मंत्रालय एवं उपाध्यक्ष, केविसं. ।
8. निजी सचिव, आयुक्त, के.वि.स. ।
9. सचिव, सी.बी.एस.ई. के निजी सचिव, 2, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली – 92
10. निजी सचिव अपर आयुक्त (प्रशा./शै०) केविसं ।

11. उप सचिव (के.वि.स.), शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
12. संयुक्त आयुक्त (प्रशा./वित्/प्रशिक्षण/कार्मिक), के.वि.स. (मु.) को सूचनार्थ ।
13. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) केविसं को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें ।
14. अधीक्षण अभियंता, के.वि.स. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
15. जिला मजिस्ट्रेट उत्तर पूर्वी दिल्ली और अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, केंद्रीय विद्यालय खजूरी खास, दिल्ली ।
16. उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सम्बन्धित प्राधिकारियों से सम्पर्क कर केंद्रीय विद्यालय संचालित करें ।
17. उपायुक्त/निदेशक, के.वि.स., सभी सम्भागीय कार्यालय तथा आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ।
18. उपायुक्त (आई.टी.) को के.वि.सं.की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।
19. सहायक आयुक्त (स्था. I/II/III) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
20. सभी अधिकारी/अनुभाग, केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) ।
21. अध्यक्ष/सचिव के.वि.स. मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ ।
22. गार्ड फाइल ।



केंद्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head quarters, New Delhi
Website: www.kvsangathan.nic.in

Email: adddl.com.admn@kvs.gov.in, Tel: 011- 26855532

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली / 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi

Comp No.: 29090

F. 11-Adm1/24/2025-Admn-II/ 1264-86

दिनांक: 30.09.2025

OFFICE ORDER

Kendriya Vidyalaya Sangathan vide office-order of even number dated 27.12.2024, conveyed the approval of Government of India, for establishing 85 new Kendriya Vidyalayas under Civil/Defence Sector with the stipulation that the sponsoring authority concerned is required to transfer the identified demarcated land and also to give possession of the temporary accommodation to KVS prior to opening of the new Kendriya Vidyalaya. **Kendriya Vidyalaya, Khajuri Khas, Delhi in Parliamentary Constituency North East Delhi** is one of the 85 new Kendriya Vidyalayas sanctioned in December 2024.

Since the land in the matter of this Kendriya Vidyalaya has been transferred by the Sponsoring Authority in favour of Kendriya Vidyalaya Sangathan and temporary accommodation has been found suitable, sanction is hereby conveyed to start a new Kendriya Vidyalaya under Civil Sector with immediate effect at the following location:-

S. No.	Name of Kendriya Vidyalaya	Kendriya Vidyalaya will be made functional during Academic Year 2025-26 at:
1.	Kendriya Vidyalaya, Khajuri Khas, Delhi	Kendriya Vidyalaya, Khajuri Khas, Near Police Station Khajuri Khas, Sonia Vihar, New Delhi-110090

The above Vidyalaya will start functioning from class I to V (single section in each class) and thereafter will grow consequently based on feasibility as per approval.

The admission process may be completed within 30 days after completion of all pending formalities of transfer of land and temporary accommodation.

Deepesh Gehlot
30/9/2025
(Deepesh Gehlot)

Additional Commissioner (Admn)

Distribution: -

1. PS to Hon'ble SM-cum-Chairman, KVS.
2. PS to Chief Minister, Delhi.
3. PS to Hon'ble MoS (Education) – cum Joint Chairman, KVS.
4. Sr. PPS to Secretary (SE&L), MoE-cum-Deputy Chairman, KVS.
5. PPS to Chief Secretary, Delhi.
6. The Chairman, Delhi Development Authority.
7. PSO to Joint Secretary (Institutions & Trg.), MoE-cum-Vice Chairperson, KVS.
8. PS to Commissioner, KVS.
9. PS to Secretary, CBSE, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-92
10. PS to Additional Commissioner (Admn/Acad), KVS.

11. The Deputy Secretary (KVS), MoE, Shastri Bhawan, New Delhi.
12. Joint Commissioner (Finance/Pers /Admn /Training), KVS.
13. Joint Commissioner (Acad), KVS Hqrs with the request to issue staff sanction order as per rule.
14. The Superintending Engineer, KVS – for information and necessary action.
15. The District Magistrate, North East Delhi and the Chairman, Vidyalaya Management Committee, Kendriya Vidyalaya Khajuri Khas, Delhi.
16. The Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, Delhi with the request to liaise with the sponsoring authorities to make the KV functional.
17. The Deputy Commissioner/Directors, KVS, All Regional Offices/ZIETs.
18. The Deputy Commissioner (IT), KVS with a request to upload the order on KVS website.
19. The Assistant Commissioner (Estt.I/ Estt. II/ Estt. III) for information & necessary action.
20. All Officers/Sections, KVS, Hqrs.
21. President/ General Secretary, KVS recognized Staff Associations.
22. Guard File.
